

(आर्द्र ५ कायद १ व ५)

गङ्गा मुकुटम्

५६
प्र

219

५९०७

ବାବୁ

~~8628/E~~

<u>सलेड</u>	<u>बनाम</u>	<u>पुर्वीग</u>	<u>वादा</u>
२४.१९ अने गट ओरंगा पक्षीक डेक्कोला जिरा पुर्वादिवादी लगात ते ८६ उद्यान विहार पोस्ट । पुर्वागाम			

के द्वारा की है

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीय

२६ भा ०५ स १९

[illegible]

बच्चे दिन के असातान या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से कारार वाकई वार्फिक किया गया है और कुल उमूरत अहम मुतलिलका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सकें, हाजिर हो और जनाब देही दावा की करे और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दलावेज पेश करें जिन पर आप बतार्हद अपनी जमानावेही के इसादनाला करार पावते हैं।

आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूम और फ़ैसला होगा।

बकवत मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख

生

इ० आर० कि० ग० ।

सुतिना

नाम अदालत-
नम्बर मुकदमा
जान करीदैन

(1) अगर आपको यह अन्दरे हो कि आपके गावाह मर्जो से हाजिर न होंगे। तो वह अदालत हाजा से सम्मन बर्द मुगद जारी करा सकते है कि जो गावाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जाछे और जिस दूसरावेज को किसी गावाह हाजिर से पेश कराने का आप इस्तेफाक रखते है वह उसे पेश कराई जायें, वरना कि आप खर्चा चरूरी अदालत में दाखिल काले इस उग्र को दरखवास्त गुजारावे।

(2) अगर आप मुतालाबा मुद्दई को तत्सलीम करते हैं तो रूपया मय खर्चा नागिश अदालत में दाखल करें ताकि कार्यवाही इजराया डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनो पर हो, करना न पड़े।

न्यायालय श्रीमान गौडर एक्सीडेंट वलेम ट्रिब्यूनल / जिला जज महोदय गौतमबुद्धनगर

एम0ए0सी0 नं0

सन 2019

1. सतेन्द्र (उम्र 28 वर्ष) पुत्र जिलेराम निवासी ग्राम विशनूली परगना व तहसील दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

..... प्रार्थी।

बनाम

उ0प्र0। (चालक HR55 AA-5505)



2. मैं ओंला पलीट टेक्नोलोजिस प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 86 उद्योग बिहार फेस-1, गुरुग्राम द्वारा जनरल मैनेजर।

(स्वामी HR55 AA-5505)

3. बजाज एलायज जनरल इश्योरेंश क0 लि0 कार्यालय गोल्डन हार्डेट्स फॉर्थ फ्लोर नं0 1/2 59 दी क्रॉस फॉर्थ एम0 ब्लॉक राजाजीनगर बैंगलोर स्थानीय ब्लॉक नं0 4 7वा तल डी0एल0एफ0 टावर-15 शिवाजी मार्ग नई दिल्ली 110015 द्वारा जनरल मैनेजर।

(बीमा कम्पनी गाडी नं0 HR55 AA-5505)

..... विपक्षीगण।

वलेम पिटीशन अन्तर्गत धारा 166 व 140 एम0वी0 एक्ट 1988।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि प्रस्तुत याचिका याचोगण द्वारा धायल सतेन्द्र पुत्र जिलेराम, दुर्घटना दिनांक 19.10.2017 में आयी चोटों के के सत्य में गुआमजा प्राप्त करने हेतु याचिका दायर की जा रही है। धायल को राज्य दुर्घटना में शामिल वाहन व वलेम याचिका का विवरण निम्न है -

सतेन्द्र पुत्र जिलेराम

1. धायल का नाम एवं पिता का नाम

2. धायल का पुरा पता
ग्राम विशनूली परगना व तहसील दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

3. धायल का व्यवसाय और संस्थान (नौकरी)
का नाम जहाँ धायल नौकरी
करता है/था।
एनहेन्स इकोटेक प्रा0 कम्पनी,
सी0-39 प्रहलादपुर।

श्रीगुरु

4. घायल की नासिक आय

15000 / - रु 0 माहवार

5. नाम व उम्र घायल के परिवार के सदस्यों व

1. कविता (पत्नि) 28 वर्ष
2. तुलसी (पुत्री) 10 वर्ष
3. हर्ष (पुत्र) 8 वर्ष
4. तनिष्का (पुत्री) 6 वर्ष
5. आयुष (पुत्र) 3 वर्ष

6. घायल की उम्र

28 वर्ष

7. क्या घायल आयकरदाता हैं

जी नहीं

8. घटना का दिनांक व स्थान

19.10.2017 जी0टी0रोड़ महक रेजीडेन्सी के निकट।

9. थाना जिसके अन्तर्गत दुर्घटना घटित हुई

थाना बादलपुर

10. क्या घायल जिसके सम्बन्ध में मुआवजा योजित किया है वाहन पर यात्रा कर रहा था, जिससे दुर्घटना घटित हुई

जी नहीं।

11. घायल के चोटों की प्रकृति

गम्भीर

12. नाम व पता अस्पताल जहाँ घायल का ईलाज हुआ।

मोहन स्वरूप अस्पताल दादरी एवं अन्य।

13. दुर्घटना घटित करने वाले का रजिस्ट्रेशन नं0 एवं श्रेणी

एच0आर055 एए5505
स्विफ्ट कार।

14. नाम व पता चालक

विपक्षी नं0 1

15. नाम पता स्वामी वाहन

विपक्षी नं0 2

16. नाम पता वाहन का बीमाकर्ता

विपक्षी संख्या 3

17. क्या यात्री ने स्वामी या बीमाकम्पनी के विरुद्ध कोई अन्य याचिका किसी अन्य स्थान पर योजित की है

जी नहीं।

18. दुर्घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमें का विवरण

थाना बादलपुर
मु0अ0स0 315 / 2017
अ0धारा 279, 337, 338 आई0पी0सी0।

21/11/23

19. क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का विवरण

मोटर सार्इकिल।

20. मुआवजे की धनराशि का विवरण

अ. ईलाज का खर्चा अं. 2,00,000 / -

ब. मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हेतु
1,00,000 / -

स. डॉक्टर की सलाह पर विशेष खुराक एवं
आने जाने व ओपीडी में खर्चा
50,000 / - रु०।

द. दुर्घटना के कारण कार्य छुटने का मुआवजा
अकन 30,000 / - रु०।

21. अन्य विवरण जो याचिका के निस्तारण हेतु आवश्यक हैं।

1. यह कि प्रार्थी/याची दिनांक 19.10.2017 को अपने भाई के साथ मोटर सार्इकिल संख्या यू0पी0-16 एन0बी0एफ0-06034 से अपने गाँव से हरिशचन्द का बाग के लिए जा रहा था। मोटर सार्इकिल उसका भाई चला रहा था जब वह मोटर सार्इकिल से महक रेजीडेन्सी निक्ट के0आर0बी0एल0 पहुँचें तो रिवपट डिजायर संख्या एच0आर0 संख्या 55-एए5505 के चालक द्वारा बड़ी लापरवाही से गाड़ी चलाने हुए मोटर सार्इकिल में टक्कर मार दी। जिससे याची को गम्भीर चोट आयी और उन चोटों के कारण उसको मोहनस्वरूप अस्पताल दादरी में भर्ती कराया गया जहाँ उसका उपचार हुआ।

2. यह कि उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण प्रार्थी को काफी समय अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा एवं उसका कार्य छुटा।

3. यह कि उक्त दुर्घटना के विपक्षी संख्या 1 की लापरवाही एवं उपेक्षा पूर्वक यातायात के नियमों की अवहेलना करते हुए गाड़ी चलाने के कारण घटित हुई जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी/याची के भाई द्वारा थाना बादलपुर पर मु0अ0स0 315/2017 अ0धारा0 279,337,338 भ0द0स0 में पजीकृत कराया गया।

4. यह कि उक्त दुर्घटना के समय विवेचना में भी विपक्षी संख्या 1 चालक की लापरवाही के कारण उसके विरुद्ध ही थाना बादलपुर के कास्था ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे पूर्णतः स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 के लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण घटित हुई।

श्रीतन्त्र

5. यह कि उक्त दुर्घटना में संलिप्त विपक्षी संख्या 1 चालक व स्वामी विपक्षी संख्या 2 व बीमा कम्पनी विपक्षी संख्या 3 संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, इसलिए प्राथी को विपक्षीगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से मुआवजा दिलाया जावे।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि याची को विपक्षीगण 1 ता0 3 से संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से 3,80,000/-रु0 मय 18प्रतिशत ब्याज दुर्घटना की तिथि से दिलाया जावे।

सत्यापन :-

याची
शशिन्द्र

मैं याची सत्यापित करता हूँ कि याचिका की धारा 1 ता 21 का समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान व एवं कानूनी सलाह के आधार सही एवं सत्य है।

स्थान :- गौतमबुद्धनगर

दिनांक :-

25.2.2019

MOHD IRSHAD ALI
Encl. No. 1030/184, 7th Floor
Harampur NO. 793, Dalia Chauri
Village, Dabaura, Dist. 100
2014055100

25.2.2019

1	Name of the officer	RAVI DUTT
2	Officer mobile number	9050372577
3	Station name and telephone number	Shree S Am Court
4	Case No	
5	Case filed under which sections	166 a 140 24 d1 Act 1988
6	Accused name	Adarsh
7	Why the OLA's information required	
8	What information we have shared (office use)	,
9	For more information kindly write at	litigation@olacabs.com

Name of the officer.
Signature